

अधिसूचना

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना संख्या प.2(30)वित्त/कर/2015-6 दिनांक 30.4.2016 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान अभिव्यक्ति "30 जून 2016" के स्थान पर अभिव्यक्ति "15 जुलाई, 2016" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(सं.एफ.2(30)एफ.डी./टैक्स/15-28)

राज्यपाल के आदेश से,



(डॉ० देवराज)

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान-सरकार

कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राज.,  
"कर-भवन", अजमेर

क्रमांक : एफ-7(42)जन/रा.लो.अ.अ./2015/8704-9303

दिनांक : 04-07-2016

राज्य अधिसूचना क्रमांक एफ.2(30)एफ.डी/टैक्स/15-28 दिनांक 27.06.16 की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2 महानिदेशक, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, राजस्थान, भूतल 'डी'-ब्लॉक वित्त भवन, जनपथ, जयपुर।
- 3 वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
- 4 पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
- 5 वित्तीय सलाहकार, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग मुख्यालय अजमेर।
- 6 अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, चतुर्थ तल, वित्त भवन, जयपुर।
- 7 समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
- 8 संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर), मुख्यालय अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त अधिसूचना को विभाग की वेबसाई [igrs.rajasthan.gov.in](http://igrs.rajasthan.gov.in) पर तत्काल अपलोड करावें।
- 9 समस्त उप पंजीयक (पूर्णकालीन एवं पदेन), राजस्थान।
- 10 निजी-सचिव, महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक, अजमेर।

(हरफूल सिंह यादव)

अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रवर्तन),  
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,  
राजस्थान, अजमेर